न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26/2021 (उदयपुर डिक्री)

श्री धर्मराज जी महाराज (देवरा पाल वाला) स्थान नान्देवल, तहसील मावली नाबालिक जरिये संरक्षक एवं प्रतिनिधि समस्त ग्रामवासी नान्दवेल :–

1. तुलसीराम पिता केवा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगीलाल पिता हीरालाल जी सुथार, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. भेरा पिता उदा जी डांगी (भोपा जी), निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. बन्शीलाल पिता लोगर जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पूनमचन्द पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1\. हामा पिता कसना जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती नोजीबाई बेवा हामा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. प्यारेलाल पिता हामा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती भूरीबाई पुत्री हामा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री हामा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2\. फतहलाल पिता देवा जी डांगी, निवासी धाबाई जी की पुंला (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती पन्नीबाई बेवा फतहलाल जी डांगी, निवासी मोतीमगरी स्कीम, नगर विकास प्रन्यास के सामने, उदयपुर (मृतक) नाम हटाया गया

2/2. रामलाल पिता फतहलाल जी डांगी, निवासी मोतीमगरी स्कीम, नगर विकास प्रन्यास के सामने, उदयपुर (राज.)

2/3. धनराज पिता फतहलाल जी डांगी, निवासी मोतीमगरी स्कीम, नगर विकास प्रन्यास के सामने, उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती भंवरी पुत्री फतहलाल जी डांगी, निवासी मोतीमगरी स्कीम, नगर विकास प्रन्यास के सामने, उदयपुर (राज.)

2/5. श्रीमती नारी पुत्री फतहलाल जी डांगी, निवासी मोतीमगरी स्कीम, नगर विकास प्रन्यास के सामने, उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
20.11.2020, प्रकरण संख्या 6/2014

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1/1 से 1/4

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 21–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्देवल, तहसील मावली में साबिक आराजी नंबर 1053 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 1388 रकबा 7 बिस्वा, 1389 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 1390 रकबा 4 बिस्वा किता 3 रकबा 6 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी कई वर्षो पूर्व किशन पिता भैरूलाल गुजर ने स्थानीय देवरा धर्मराज जी महाराज (देवरा पालवाला) को सेवा पूजा हेतु भेंट में दी। यह जमीन डोली के नाम से विख्यात है। इस भूमि की सेवा पूजा प्रतिवादी संख्या 3 हम ग्रामवासियों की देखरेख में करते चले आ रहे हैं, प्रतिवादी संख्या 1 का इन भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु मौजूदा सेटलमेन्ट के पूर्व व उसके दौरान उनके मृतक पिता जो हम लोगों की तरह ही देवरे का प्रबन्धक था, ने हम ग्रामवासियों की बिना जानकारी के धर्मराज का नाम हटवाकर अपना नाम अंकित करा दिया, जो वापस हटाई जाकर देवरे देवस्थान आदि के नाम खातेदारी दी जानी आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नंबर 1388 रकबा 7 बिस्वा का नुमाईशी विक्रय दिनांक 15–12–1986 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया, जो वादीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 को बहैसियत पुजारी इन भूमियों की सेवा पूजा के एवज में काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अनावश्यक अतिक्रमण व अधिपत्य करने पर उतारू हैं। अतः विवादित आराजियात धर्मराज जी महाराज देवरा पालवाला स्थान नान्दवेल को खातेदार [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि किशनजी पिता भैरूलाल गुजर द्वारा उक्त भूमि कभी भी स्थानीय देवरा धर्मराज जी महाराज को सेवा पूजा हेतु भेंट नहीं की गयी, बल्कि आराजी नंबर 1053 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का पट्टा 2004 में मुझ प्रतिवादी के पिता किशना पिता जीवा डांगी के नाम जारी किया गया, जिससे वह इस भूमि के खातेदार काश्तकार थे, इसी कारण पैमाईश के समय उनके द्वारा उजरदारी करने पर किशना जी के नाम इन्द्राज करने का आदेश हुआ, किन्तु उसकी तामील नहीं होने के कारण किशना जी द्वारा रेकार्ड ऑफिसर राजस्थान उदयपुर के समक्ष अपील संख्या 15/1954 प्रस्तुत की गयी, जिसमें दिनांक 20–09–1954 को किशना जी को खड़मदार दर्ज करने का आदेश हुआ और धर्मराज जी की माफी दर्ज की गयी तथा मोती को पुजारी दर्ज करने का आदेश दिया गया। आराजी नंबर 1053 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा का किशना जी खातेदार था तथा उसकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तब से प्रतिवादी वह बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का इस भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 5 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 20–11–2020 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–04–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/2 से 2/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने जरूरत होने पर सूचना देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अधिवक्ता द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested

सूचना नहीं देने पर दिनांक 05–03–2021 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है, जिसे न्यायहित में क्षमा किया जाकर तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अपीलान्टगण ने साक्ष्यों से यह साबित कराया है कि विवादित आराजियात धर्मराज महाराज (देवरा पाल वाला) स्थान नान्दवेल के खातेदारी आधिपत्य की थी, जिसके पुजारी किशनलाल पिता नारू जी डांगी थे तथा इससे पूर्व चेना जी डांगी इसके पुजारी थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा चेना के पूर्व मोती जी सेवा पूजा करते थे, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान हामा पिता कसना ने मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करवायी है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से जो पट्टे की नकल प्रस्तुत की गयी है, उसे साबित नहीं कराया है। इसके अलावा भी जो पट्टे में खसरा नंबर अंकित किये गये हैं, इसमें विवादित आराजी नंबरों का उल्लेख नहीं है, न पड़ोस अंकित किये गये हैं। जहां तक रेकार्ड ऑफिसर के निर्णय का प्रश्न है, श्री धर्मराज जी महाराज को बदस्तूर कायम रखा है व किशना को खडमदार अंकित करने का आदेश दिया है, जो बिना अधिकार के है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 2 फतहलाल के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र नुमाईशी है जिससे फतहलाल को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होत हैं, न ही हामा को विवादित भूमि के अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का यह कथन कि लिखित बहस में वादी की ओर से सर्कुलर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं बल्कि बहस में बताये गये हैं, किन्तु न्यायालय खुद सर्कुलर मंगवाकर देख सकती थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक दस्तावेजी साक्ष्यों का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2023 (2) Page 1388, RRD 1976 Page 506 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण द्वारा गलत षडयन्तकारी तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसका उन्हें कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। अपीलान्ट संख्या 1, 3, 4, 5 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिए बिना अनुमति के उनके द्वारा प्रस्तुत यह अपील निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर तथा समय–समय पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में समस्त तनकियों पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो विधि होने से अपील की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णयों की नजीरें DB Civil Special Appeal no. 650/2018, DB Civil Special Appeal no. 97/2018, DB Civil Special Appeal no. 643/2018, DB Civil Special Appeal no. 1198/2018, DB Civil Special Appeal no. 185/2001, SB Civil Writ Petition no. 12146/2013, SB Civil Writ Petition no. 8136/2009, SB Civil Writ Petition no. 5755/2011, SB Civil Writ Petition no. 12409/2013 तथा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय अपीडी/टीए/5085/08/उदयपुर, अपीडी/टीए/5086/08/उदयपुर, Appeal decree No. 3471/2001/TA/Chittorgarh, Appeal decree No. 3472/2001/TA/Chittorgarh, निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ़, निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ़ तथा RRD 2000 Page 570, RRD 2000 Page 109, RRD 2000 Page 14 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि संवत् 2009 से पूर्व यह भूमि अपीलान्ट/वादी श्री धर्मराज जी महाराज के नाम दर्ज रही है तथा प्रदर्श 6 जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested

भी श्री धर्मराज जी स्थान देह (पालवाला) दर्ज होकर नीचे किशना वल्द जीवा डांगी सां देह पुजारी मोती वल्द मेगा डांगी अंकित किया हुआ है तथा प्रदर्श 4 खसरा संवत् 2022 के कॉलम संख्या 23 में भी इसी प्रकार का अंकन किया हुआ है, किन्तु इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में हामा पिता कशना डांगी को खातेदार अंकित कर दिया है, जबकि वादी मंदिर मूर्ति होकर शाश्वत नाबालिग होती है एवं इसकी भूमि के खातेदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हो जाने के पूर्व प्रतिवादी हामा को खडमदार दर्ज होने के आधार पर तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध करते हुए उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा इसी प्रकार से अन्य तनकियों का निर्णय करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नहीं है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन किया है, किन्तु दिनांक 20–09–1954 को रेकार्ड ऑफिसर को बापी पट्टे के आधार पर खडमदारी दर्ज करने का अधिकार था अथवा नहीं इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–11–2020 में अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ''वर्ष 1954 में रेकार्ड ऑफिसर को बापी पट्टे के आधार पर खडमदार दर्ज करने का अधिकार था अथवा नहीं'' इस बाबत् अतिरिक्त तनकी कायम कर उक्त तनकी पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–10–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:11 IST
Reason: SelfAttested